

<< अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक >>

महोदया/महोदय,

**सरकारी सब्सिडी योजनाओं हेतु ब्याज सहित बैंक खाता खोलने के लिए कोटेशन**

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) को भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी योजना दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र प्राथमिक ऋणदाता संस्थान (पीएलआई) के माध्यम से विभिन्न सब्सिडी योजनाओं (यानी ईडब्ल्यूएस/एलआईजी, एमआईजी आदि हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना-ऋण आधारित सब्सिडी योजना) के कार्यान्वयन के लिये केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में चिह्नित किया गया है। वर्तमान में, रा.आ.बैंक द्वारा संबंधित सरकारी योजनाओं के तहत निधि के अनुरक्षण के लिए सात ब्याज-सहित बैंक खाते संचालित किए गये हैं।

2. रा.आ.बैंक संबंधित सरकारी योजनाओं के तहत निधि के रख रखाव के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (विशेषतः लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में रा.आ.बैंक मुख्यालय के आसपास के क्षेत्र) से मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित करता है। इच्छुक बैंक निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार बचत खातों के लिए अपनी बोली प्रस्तुत कर सकता है:

स्तर (राशि रूपये में )	भार (%)	ब्याज % दर पी.ए.की दर (दैनिक शेष और दैनिक औसत शेष नहीं)	ब्याज की भारत दर  <b>(3)=(1)x(2)</b>
	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	
0 से 50 करोड़ रु	30		
> 50 करोड़ से <= 250 करोड़	20		
> 250 करोड़ से <= 500 करोड़	30		
> 500 करोड़ रु	20		
कुल (रोल भारत )			

बोलीदाता द्वारा निम्नलिखित की पुष्टि भी की जानी चाहिए

- बोली लगाने वाली बैंक की सीबीएस प्रणाली भारत सरकार के पीएफएमएस प्रणाली के अनुकूल होनी चाहिए। विभिन्न सुविधाओं के अलावा, बोलीदाता बैंक को समर्पित सेवा कार्यपालक/डेस्क, शून्य खाता रखरखाव शुल्क, खाते का मुफ्त मासिक विवरण (मूल), ऑन-लाइन सुविधाएं, शून्य आरटीजीएस /एनईएफटी/ इलेक्ट्रॉनिक भुगतान शुल्क इत्यादि की शीघ्र सेवा प्रदान करना होगा।
- बोलीदाता द्वारा उद्धृत ब्याज दरें 30-06-2020 तक मान्य हों।
- बैंक द्वारा केवल एक बोली प्रस्तुत की जा सकती है, और बोली में इस संबंध में प्राधिकृति का प्रति होनी चाहिए जिसमें प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम एवं उसका/उसकी संपर्क विवरण भी होनी चाहिए। एक ही बैंक से प्राप्त कई बोलियों के मामले में, रा.आ.बैंक द्वारा प्राप्त केवल पहली बोली पर विचार किया जाएगा।
- यथा 31-03-2019 को बोलीदाता बैंक के पास 25,000 / - करोड़ रूपये और उससे अधिक का बकाया जमा होना चाहिए
- बोलीदाताओं से इस संबंध में प्रमाणपत्र की वह कितने सरकारी योजना खातों का संचालन कर रहे हैं। (योजना के नाम सहित)

इसके अतिरिक्त, रा.आ.बैंक, बिना किसी कारण बताए या किसी से / सभी बोलीदाताओं से सभी कोटेशन को अस्वीकार या स्वीकार करने का अधिकार रखता है।

3 कोटेशन उपरोक्त प्रारूप के अनुसार ही होनी चाहिए और हस्ताक्षर के अलावा हस्तलिखित नहीं होना चाहिए। प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/ओं द्वारा हस्ताक्षरित कोटेशन कवर पर प्रेषक शाखा के नाम और ईमेल – आईडी के साथ मुहरबंद कवर में शीर्षक “सरकारी सब्सिडी योजनाओं हेतु ब्याज सहित बैंक खाता खोलने के लिए कोटेशन” लिख कर दिनांक 13 मई, 2019 को साय: 4 बजे के तक, रा.आ.बैंक मुख्यालय के निम्नलिखित पते पर भेजे:

महाप्रबंधक  
सरकारी योजनाएं  
राष्ट्रीय आवास बैंक  
मुख्यालय  
चौथी मंजिल, कोर 5ए, भारत पर्यावास केंद्र  
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

भवदीय,

उप महाप्रबंधक  
सरकारी योजनाएं